उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
गुरूवार, 1 फाल्गुन, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 20 फरवरी, 2014)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. वित्त मंत्री, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री जीतराम, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत स्थान सिमली में पॉलिटैक्निक शिक्षण संस्थान खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री भरत सिंह रावत, निवासी-ग्राम कण्डारा, किमोली, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. श्री जीतराम, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अर्न्तगत स्थान सिमली में बेस हॉस्पिटल खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्री महेश खण्डूडी, निवासी-सिमली रोड़, कर्णप्रयाग, जनपद-चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
8. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा, ''देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान द्वारा की गयी खुराई से अनेकों स्थानों पर पानी एवं सीवर लाईन आपस में मिल जाने के सम्बन्ध में'' श्री अशोक कुमार, निवासी-106/3 मोहिनी रोड, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
10. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

12. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

13. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

14. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री तीरथ सिंह रावत 3 डा0 रमेश पोखरियाल 'निशक' 4 श्री हरबंस कपूर 5 श्री बिशन सिंह चुफाल 6 श्री मदन कौशिक 7 श्री बंशीधर भगत 8 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 9 श्री हरभजन सिंह चीमा 10 श्री अजय टम्टा 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री गणेश जोशी 13 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14 श्री अरविन्द पाण्डे 15 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 16 श्री दान सिंह भण्डारी 17 श्री मालचन्द 18 डा0 प्रेम सिंह राणा 19 श्री चन्द्रशेखर 20 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 21 श्री संजय गुप्ता 22 श्री आदेश चौहान 23 श्री दलीप सिंह रावत 24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 25 श्री महावीर सिंह 26 श्री पुष्कर सिंह धामी 27 श्री यतीश्वरानन्द	"आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

15. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

16. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(10 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री तीरथ सिंह रावत 3 डा0 रमेश पोखरियाल 'निशक' 4 श्री हरबंस कपूर 5 श्री बिशन सिंह चुफाल 6 श्री मदन कौशिक 7 श्री बंशीधर भगत 8 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 9 श्री हरभजन सिंह चीमा 10 श्री अजय टम्टा 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री गणेश जोशी 13 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14 श्री अरविन्द पाण्डे 15 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 16 श्री दान सिंह भण्डारी 17 श्री मालचन्द 18 डा0 प्रेम सिंह राणा 19 श्री चन्द्रशेखर 20 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 21 श्री संजय गुप्ता 22 श्री आदेश चौहान 23 श्री दलीप सिंह रावत 24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 25 श्री महावीर सिंह 26 श्री पुष्कर सिंह धामी 27 श्री यतीश्वरानन्द	''उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।'' (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

17. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

18. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(20 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री तीरथ सिंह रावत 3 डा0 रमेश पोखरियाल 'निशक' 4 श्री हरबंस कपूर 5 श्री बिशन सिंह चुफाल 6 श्री मदन कौशिक 7 श्री बंशीधर भगत 8 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 9 श्री हरभजन सिंह चीमा 10 श्री अजय टम्टा 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री गणेश जोशी 13 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14 श्री अरविन्द पाण्डे 15 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 16 श्री दान सिंह भण्डारी 17 श्री मालचन्द 18 डा0 प्रेम सिंह राणा 19 श्री चन्द्रशेखर 20 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 21 श्री संजय गुप्ता 22 श्री आदेश चौहान 23 श्री दलीप सिंह रावत 24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 25 श्री महावीर सिंह 26 श्री पुष्कर सिंह धामी 27 श्री यतीश्वरानन्द	''उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।'' (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

19. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

20. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(20 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री तीरथ सिंह रावत 3 डा0 रमेश पोखरियाल 'निशक' 4 श्री हरबंस कपूर 5 श्री बिशन सिंह चुफाल 6 श्री मदन कौशिक 7 श्री बंशीधर भगत 8 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 9 श्री हरभजन सिंह चीमा 10 श्री अजय टम्टा 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री गणेश जोशी 13 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14 श्री अरविन्द पाण्डे 15 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 16 श्री दान सिंह भण्डारी 17 श्री मालचन्द 18 डा0 प्रेम सिंह राणा 19 श्री चन्द्रशेखर 20 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 21 श्री संजय गुप्ता 22 श्री आदेश चौहान 23 श्री दलीप सिंह रावत 24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 25 श्री महावीर सिंह 26 श्री पुष्कर सिंह धामी 27 श्री यतीश्वरानन्द	''उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।'' (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

21. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

22. पेयजल विभाग द्वारा वर्ष 2007 से वर्तमान तक जिन 9078 लोगों को ठेकेदारी के आधार पर विभाग में विभिन्न कार्यों हेतु रखा गया है उनके मुख्य नियोक्ता की जानकारी विषयक दिनांक 13 फरवरी, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-12 के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा।

23. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारीः- **(15 मिनट)**

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

24. नियम- 105 के अन्तर्गत श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा जारीः-

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।" **(15 मिनट)**

25. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।

उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नही है विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव हैं।

राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।

इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नही किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन **U.A. state Branch** ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।" **(15 मिनट)**

26. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।" **(10 मिनट)**

27. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।" **(10 मिनट)**

28. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।" **(15 मिनट)**

29. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"राज्य के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी बस्तियां बसी हुयी है जिनके निवासियों के पास उस भूमि का कोई मालिकाना प्रमाण पत्र नही है, जिस पर उन्होने अपने रिहायशी मकान बनाये है। ये आवासीय ईकाईयां अस्थायी, अर्द्ध स्थायी तथा स्थायी तीनों संरचनाओं में है। ये बस्तियां नदियों के किनारें, सड़कों के किनारे तथा अनुपयुक्त पड़ी राजकीय या विभागीय भूमियों पर विकसित हुयी है।

कुछ नगर निकायों में ऐसे बस्तियों को मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित भी किया गया है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आता है, में ऐसी कोई अधिसूचना की कार्यवाही नही की गयी है। इन बस्तियों में बिजली, पानी की सुविधाएं अस्थायी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, परन्तु स्वच्छता की दृष्टि से ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां के निवासियों के पास राशन कार्ड, वोटर कार्ड आदि की पूर्ण व्यवस्था है।

इन बस्तियों की बसावट आपदा के समय राहत पहुंचाने की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। इन बस्तियों के निवासी समाज को मजदूर तथा सेमी स्किल्ड मजदूर के रूप में, अत्यधिक छोटे व्यापारी तथा व्यवसायियों के रूप में अति आवश्यक सेवा प्रदान करते है। घरेलू सहायकों के रूप में इनका योगदान है।

सामाजिक संरचना में इस सर्विस सेक्टर के योगदान तथा आवश्यकता को देखते हुए यह समाज के हित में है कि इन मलिन बस्ती वासियों को सुरक्षित स्वच्छ आवासीय सुविधा प्रदान करने की नीति प्रख्यापित की जाय।'' **(15 मिनट)**

30. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

''जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्वात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है। पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया हैः-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14. मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गटन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है। अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना, जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं। महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।' (15 मिनट) **(15 मिनट)**

31. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

''उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने सम्बन्धी।'' **(15 मिनट)**

32. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

''उत्तराखण्ड राज्य में **''ईको सेंसटिव जोन''** को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।'' **(15 मिनट)**

33. श्री उमेश शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः-

"प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों हेतु संचालित राज्य की जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से जनहित में आवश्यक है कि प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की एक सम्पूर्ण सूची बनायी जाये तथा सभी विभागों को एक ही सूची मान्य करने सम्बंधी।" **(15 मिनट)**

34. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

35. तहसील विकासनगर के अन्तर्गत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के पुनर्निर्माण के संबंध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, सिंचाई मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

36. विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत विभिन्न गांवों में विद्युत तारों की जर्जर स्थिति से उत्पन्न खतरों के संबंध में श्री संजय गुप्ता, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

37. जनपद देहरादून के विकासनगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर ओवर हैड टैंक बनाने के संबंध में श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, पेयजल मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

38. प्रदेश में बी0एड0, बी0पी0एड0 व योग प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, शिक्षा मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :

दिनांक : 19 फरवरी, 2014

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2014
का तृतीय गुरूवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

गुरूवार, 01 फाल्गुन, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 20 फरवरी, 2014)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री नवप्रभात 07.02.2014	**क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक जनपदवार कितनी धनराशि अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु स्वीकृत की गयी है ?	**समाज कल्याण**

नत्थी ''ख''

तारांकित प्रश्न

श्री मदन कौशिक
29.01.2014

*01. **स्थगित।** **पेयजल**

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के किनारे बसी बस्तियों द्वारा नदियों में सीवर बहाया जा रहा है जिससे नदियों में अत्याधिक मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नदियों में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु कोई नीति तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतारांकित प्रश्न

श्री आदेश चौहान
29.01.2014

01. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत बी0एच0ई0एल रानीपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बहादराबाद के नलकूप न0 2 से जल आपूर्ति बन्द हो गई है जिस कारण ग्रामीणों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल नलकूप के जीर्णोद्धार की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? **पेयजल**

हाजी सरवत करीम अंसारी
29.01.2014

02. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना के अतिरिक्त शिक्षण सामग्री, वर्दी, निःशुल्क पाठ्य सामग्री दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **शिक्षा**

हाजी सरवत करीम अंसारी
29.01.2014

03. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, जैन) के शिक्षा विभाग में प्राथमिक/माध्यमिक में कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी उक्त सभी शिक्षकों एवं विगत 05 वर्षों में प्रदेश में दुर्गम से सुगम में कुल कितने अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों का शिक्षा नीति के अनुरूप स्थानान्तरण हुआ है, का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को स्थानान्तरण नीति में छूट प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **शिक्षा**

हाजी सरवत करीम अंसारी
29.01.2014

04. क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में आंगन बाड़ी के कुल कितने केन्द्र स्थापित हैं तथा वर्ष 2013–14 में प्रति केन्द्र पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि महिलाओं के कल्याण हेतु प्रदान की गयी है ? क्या सरकार उक्त केन्द्रों को निर्गत की गयी धनराशि को वापस लेकर ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से राशन वितरण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो संबंधित शासनादेश सदन के पटल पर रखेंगे ? **महिला एवं बाल विकास**

हाजी सरवत करीम अंसारी 29.01.2014	05. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला हरिद्वार में उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त कितने मदरसों को मध्याह्न भोजन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तथा वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने मदरसों के आवेदन विचाराधीन हैं ? सरकार विचाराधीन मदरसों में मध्याहन् भोजन योजना आरम्भ करने पर शीघ्र विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 29.01.2014	06. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला चम्पावत के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत एवं वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विगत 13 वर्षों से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार नियमित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री गणेश जोशी 30.01.2014	07. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पर्यटन विभाग के माध्यम से जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुरूकुल से हाथीपांव तक रोप–वे के निर्माण की कोई योजना शासन स्तर पर लम्बित है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजना में क्या प्रगति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना पर कार्य करने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**पर्यटन**
श्री गणेश जोशी 30.01.2014	08. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र चामासारी की जनसंख्या लगभग 380 हैं में 6–14 आयुवर्ग के लगभग 40 बालक/बालिकायें प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण शिक्षा से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि पूर्व में ग्राम पंचायत चामासारी द्वारा 08 नवम्बर, 2010 को विद्यालय के निर्माण हेतु ग्राम सभा की भूमि का प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग को उपलब्ध करया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार चामासारी बस्ती मोटीधार में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 30.01.2014	09. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के उपरान्त से आज समय तक प्रदेश में कितने विद्यालयों का उच्चीकरण इन्टर स्तर पर किया गया है तथा उनका जिलेवार विवरण क्या है ? क्या इन सभी विद्यालयों में पद सृजित कर मानकानुसार शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रदान कर शिक्षा दी जा रही है ? यदि हां, तो तद्संबंधी विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री दान सिंह भण्डारी 30.01.2014	10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नैनीताल जिले की भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उच्चीकृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उच्चीकृत विद्यालयों को वित्तीय मान्यता एवं पद स्वीकृत कर शीघ्र विद्यालयों को शिक्षकों की कमी को पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री दान सिंह भण्डारी 30.01.2014	11. **चतुर्थ सोमवार के अता0 28 में स्थाना0** क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि नैनीताल जिले के भीमताल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामगढ़ विकास खण्ड में कोई भी उच्च स्तरीय कालेज/विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय/कालेज की स्थापना की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**

श्री तीरथ सिंह रावत 30.01.2014	12. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों का उच्चीकरण करने की योजना है ? यदि हां, तो कितने विद्यालय उच्चीकरण की योजना में हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री तीरथ सिंह रावत 30.01.2014	13. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में विद्यालयों के प्रान्तीयकरण की कोई योजना है ? यदि हां, तो ऐसे कितने विद्यालय प्रान्तीयकरण हेतु हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 30.01.2014	14. क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मोत्यूराज पेयजल योजना कब निर्मित हुई थी ? क्या इस योजना के पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**पेयजल**
श्री पूरन सिंह फर्त्याल 30.01.2014	15. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कायल में जूनियर हाईस्कूल न होने से बच्चों को कई कि0मी0 दूर तक यात्रा कर आठवीं तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्र–छात्राओं की समस्या के निदान हेतु ग्राम पंचायत कायल में जूनियर हाईस्कूल बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**
श्री गणेश जोशी 31.01.2014	16. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून क मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिल्ला में हाई स्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव पूर्व में शासन को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम पंचायत सिल्ला में हाई स्कूल बुरांशखण्डा को उच्चीकृत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**शिक्षा**

नत्थी–''ग''

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 20 फरवरी, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

फरवरी, 2014

20 गुरूवार

विधायी कार्य –

1. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण ।

   (10 मिनट)

2. उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण ।

   (10 मिनट)

3. उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण ।

   (20 मिनट)

4. उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण ।

   (20 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।